UPSI010035582026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–645/2026

सी.आई.एस. नं.– 1530/2026

मो० फरीद पुत्र सिराज निवासी मो० सराय, ग्राम बाड़ी, थाना सिधौली, जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

अपराध संख्या–99/2026
धारा–305(a),317(2),331(4),
345(3) B.N.S.
थाना–अटरिया, जिला– सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र, अभियुक्त मो० फरीद की तरफ से, अपराध संख्या 99/2026 अंतर्गत धारा 305(a),317(2),331(4),345(3) B.N.S., थाना अटरिया, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से श्री शफीक ने शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन किया है कि शपथकर्ता अभियुक्त फरीद का बहनोई है। अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष दिया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी महादेव प्रसाद विश्वकर्मा ने दिनांक 23.04.2026 की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, दिनांक 08.05.2026 को, मुख्य रूप से, इस आशय से पंजीकृत करायी थी कि उसकी अटरिया स्थित दुकान में, लगभग 15 दिन पूर्व, खिड़की तोड़ कर लगभग दो लाख पचास हजार रुपए अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। वादी उन चोरों का पता लगाता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चल सका।

4– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर, थाना अटरिया, जिला सीतापुर में, अज्ञात के विरूद्ध, मु०अ०सं० 99/2026, अंतर्गत धारा 305(a) बी०एन०एस०, पंजीकृत किया गया। विवेचना में अभियुक्त मो० फरीद का नाम प्रकाश में आया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में, मुख्य रूप से, यह कहा गया है कि प्रार्थी को रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा अन्य साथियों के

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01
सीतापुर।

Digitally signed by S K JAISWAL
Date: 2026.06.01 15:26:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur

साथ मिलकर वादी की दुकान से चोरी नहीं की गयी है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा लखनऊ से पकड़कर लाया गया तथा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हाफ इन्काउण्टर किया गया। पुलिस के द्वारा प्रार्थी के पास से 1,100/– रु० व पीली धातु का एक नग बरामद होने का कथन किया गया है। जबकि प्रार्थी के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी किसी वाद में सजायाफ्ता नहीं है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्तगण के पास से, वादी की दुकान से चोरी किये गये रुपए बरामद हुए हैं। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाए।

7– मैंने दोनों पक्षों को सुना एवं अभियुक्त की रिमाण्ड शीट व अपराध संख्या–99/2026 की केस डायरी एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8– अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार, वादी महादेव प्रसाद विश्वकर्मा के द्वारा थाना–अटरिया में, दिनांक 08.05.2026 को, अपराध संख्या 99/2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुख्य रूप से, अज्ञात के विरुद्ध, इस आशय से पंजीकृत कराई थी कि लगभग 15 दिन पूर्व हमारे मकान की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा लगभग 2,25,000/– रुपये चोरी कर लिये गए थे। मैं उन चोरों का पता लगाता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चल सका।

9– केस डायरी के पर्चा संख्या–02 दिनांकित 09.05.2026 पर, वादी के बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में, मुख्य रूप से, यह अंकित है कि कस्बा अटरिया में मेरी लोहे के कारखाने की दुकान है। दिनांक 22/23.04.2026 की रात हमारी दुकान की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोरों ने गल्ले पर रखे 2,25,000/– रुपये चोरी कर लिये।

10– केस डायरी के पर्चा संख्या–03 दिनांकित 10.05.2026 के अनुसार, पुलिस के द्वारा, मुखबिर की सूचना पर, ग्राम अकबरपुर रेवान की तरफ से आ रही एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी से पाँच व्यक्तियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए (1) अंकुश शुक्ला, के पास से 8,000/– रु० व एक जोड़ी सफेद धातु की पायल, (2) विपुल पाण्डेय, के पास से 6,600/– रु० व एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक कारतूस, (3) विनय कुमार के पास से 5,700/– रु०, (4) शनि, के पास से 11,000/– रु० तथा (5) करन के पास से 6,200/– रु० व एक जोड़ी पायल सफेद धातु की बरामद हुई।

11– इसी पर्चे पर यह भी अंकित है कि उक्त अभियुक्तगण ने यह स्वीकार किया कि हम 05 लोग तथा निर्भय सिंह, बैजनाथ उर्फ ठाकुर तथा **फरीद** ने, वादी की दुकान से 1,80,000/– रु० चुराए थे तथा ग्राम रनुआपारा के प्रकाश शुक्ला के घर से ज्वैलरी की चोरी की थी।

12– विवेचक के द्वारा, कथित रूप से, माल बरामदगी के आधार पर, अपराध संख्या 99/2026 में धारा 305(a) के साथ–साथ धारा 331(4), 317(2) एवं 345(3) बी.एन.एस. की वृद्धि की गई तथा मामले में अन्य अभियुक्तगण निर्भय सिंह, बैजनाथ उर्फ ठाकुर तथा फरीद के नाम भी प्रकाश में आए।

13– केस डायरी के पर्चा संख्या–04 दिनांकित 11.05.2026 के अनुसार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बगैया नहर पुलिया के पास से दो

मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ा गया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मो० फरीद बताया और उसके पास से 1,100/– रु० व पीली धातु का एक टुकड़ा बरामद हुआ तथा मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम बैजनाथ सिंह उर्फ ठाकुर उर्फ धीरज बताया और उसके पास से 1,600/– रु० व पीली धातु का एक टुकड़ा बरामद हुआ।

14– अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि वादी ने, कथित चोरी की घटना के लगभग 15 दिन बाद, अज्ञात के विरुद्ध, मामला पंजीकृत कराया था और सहअभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अभियुक्त के पास से, पुलिस के द्वारा फर्जी बरामदगी दिखाई गई है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से जेल में निरुद्ध चल रहा है।

15– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त मो० फरीद का जमानत प्रार्थना–पत्र, सशर्त रूप से, स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मो० फरीद का जमानत प्रार्थना–पत्र, सशर्त रूप से, स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या 99/2026 अंतर्गत धारा 305(a),317(2),331(4),345(3) B.N.S., थाना अटरिया, जिला सीतापुर में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना, विवेचक के निर्देश पर यथा स्थान उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में समान आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय अपने स्तर से उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक–01.06.2026

(सुदीप कुमार जायसवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
सीतापुर।
J.O.Code-UP6090

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01
सीतापुर।